# संयुक्त निरीक्षण आख्या (गौला नदी)

कार्यालय प्रभागीय लैगिक प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी जिला नैनीताल के पत्र संख्या 787/नवीनीकरण प्रस्ताव/गौला नदी दिनांक 27.08.2021 के द्वारा गौला नदी से आगामी 10 वर्षो के लिए उपखनिज के चुगान के नवीनीकरण किये जाने हेतु जिलाधिकारी नैनीताल को प्रेषित पत्र के क्रम में जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र सं0 1550/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 27 अगस्त, 2021 के अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल के पत्र संख्या 624/भू0खनि0ई0/खनन–गौला /2021–22 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा उत्तराखण्ड बालू, बजरी बोल्डर चुगान नीति, 2016 में दिये गये प्राविधानो के दृष्टिगत् उत्तराखण्ड वन विकास निगम (गौला नदी) में स्वीकृत उपखनिज खनन पटटा के आगामी 10 वर्षो हेतु नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, एवं खनन विभाग (गठित समिति) के द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रतितिधि की उपस्थिति में निर्धारित दिंनाक 03.09.2021 को सम्पन्न किया गया। आवेदक द्वारा खनन पटटा हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र एम0एम0–1 क पर आवेदन किया गया है तथा खनन पटटा आवेदन शुल्क रू0 1,00,000/– ई चालान सं0 08530921E0497805 दिनांक 03 सितम्बर 2021 द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है। जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

**राजस्व विभागः–** उत्तराखण्ड वन विकास निगम गौला नदी द्वारा पूर्व से आवंटित खनन लॉट कुल क्षेत्रफल 1497है0 जिसमें से नदी के दोनो किनारों के 25–25 प्रतिशत भाग को छोडत हुए वर्तमान में उपखनिज चुगान कार्य किया जा रहा है, जिसमें खनन पटटा आगामी 10 वर्षो के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। गौला नदी में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उपखनिज उपलब्ध है जिसमें आगामी दस वर्षो तक खनन पटटा नवीनीकरण किया जा सकता है।

**वन विभागः–** प्रभागीय वनाधिकारी/प्रतिनिध के द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन/चुगान हेतु प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत स्थित है तथा खनन चुगान स्थल राष्ट्रीय पार्क/सेंचुरी से 10 किमी0 से अधिक की दूरी पर स्थित है। गौला नदी में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उपखनिज उपलब्ध है जिसमें आगामी दस वर्षो तक खनन पटटा नवीनीकरण किया जा सकता है। वन विकास निगम को खनन पटटा के नवीनीकरण करने से पूर्व भारत सरकार से **F.C** (Forest Clearance) लेना आवश्यक होगा।

**सिचाई विभागः–**सिचाई विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदित क्षेत्र गौला नदी में स्थित है। नदी के दोनों किनारों से 25–25 प्रतिशत दूरी छोडकर तथा चुगान क्षेत्र में Underground Water Lable या अधिकतम 3.00 मीटर की गहराई जो भी न्यून हो तक खनन कार्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पूल से 100 मीटर अपस्ट्रीम तथा 100 मीटर डाउन स्ट्रीम क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हुए उपखनिज का चुगान कार्य अनुमत गहराई तक किया जा सकता है।

**भूतत्व एवं खनिकर्म इकाईः–** वन विकास निगम के पत्र में गौला नदी में हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति में कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 1497है0 के सापेक्ष नदी के दोनो किनारों से 25–25 प्रतिशत भाग को छोडकर मध्य के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल अर्थात 748.5 है0 भाग में खनन हेतु स्वीकृति

13 अप्रैल 2011 से 10 वर्षो हेतु प्रदान की गयी है। जिसकी अवधि पुनः बढाकर जनवरी 2023 तक की गई है। उपरोक्त खनन लॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में तत्समय में कुल 54.25 लाख घन मीटर उपखनिज प्रतिवर्ष निकासी किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान है।

आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत जनपद नैनीताल स्थित गौला नदी में उपखनिज चुगान के लिए प्रचुर मात्रा में उपखनिज रेता, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में एकत्रित है। प्रस्तावित स्थल से नियमानुसार नदी पुल, शैक्षणिक संस्थान, आवसीय भवन, श्मशान घाट, सडक आदि 100 मीटर की दूरी पर छोड़ते हुए खनन कार्य किया जाएगा। प्रश्नगत क्षेत्र से खनिजो की निकासी हेतु पहुचमार्ग उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1561/VII–1/80–ख/2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 के द्वारा राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर चुगान नीति–2016 के बिन्दु संख्या 3 क मे उल्लेख है कि उपखनिज क्षेत्रो में निक्षेपित उप खनिज बालू, बजरी, बोल्डर की अधिकतम मात्रा वही मानी जायेगी जो पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित की गयी है। पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 11015/363/2009–IA.II(M) दिनांक 13 अप्रैल 2011 के द्वारा गौला नदी से प्रतिवर्ष कुल 117 लाख टन उपखनिज की मात्रा निर्धारित की गयी है। संशोधित पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र F.NO- 861/1999-FC दिनांक 23.01.2013 से 10 वर्ष हेतु अनुमन्य की गयी है।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उधोग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 515/खनन/भू0खनि0ई0/मा0प्लान/2020–21 दिनांक 31 मई 2021 द्वारा अनुमोदित खनन योजना की शर्त संख्या 04 में प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में 54.25 लाख घन मीटर (119,35,000टन) उपखनिज का खनन/चुगान किया जायेगा उल्लेखित है।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में (गौला नदी) स्वीकृत खनन पटटे के अग्रेत्तर 10 वर्षो के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा संस्तुति निम्नलिखित प्रतिबंध/शर्तो के अधीन की जाती है।

**आवश्यक प्रतिबंध/शर्तेः–**

1– पटटाधारक उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा स्वामित्व का भुगतान निर्धारित लेखा र्शीषक में जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई जनपद नैनीताल स्थित हल्द्वानी, के कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उपखनिज निकासी का विवरण (प्रपत्र एम0एम0 –12) प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई जनपद नैनीताल स्थित हल्द्वानी, व जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल में प्रस्तुत करेगा।

2– पटटाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एव पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शासन एवं जिलाधिकारी, उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा समय–समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन पट्टाधारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपखनिज के चुगान हेतु किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

4– यदि खनन/चुगान के दौरान क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो खनन के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।

5– खनन/चुगान करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पटटाधारक की रहेगी जो कि मान्य होगी।

6– यदि पटटाधारक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

7– पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनवरी 2020 में जारी सैन्ड माईनिगं गाईडलाईन के अनुसार कार्य करना होगा।

8 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा (Forest Clearance) लिया जाना अनिवार्य होगा।

9– वन संरक्षण अधिनियम–1980, वन सरंक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पटटे हेतु समय–समय पर दिये जाये लागू होंगे।

10– उपखनिज की मात्रा का निर्धारण अनुमोदित खनन योजना के अनुसार या पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार होगा।

राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील हल्द्वानी

सर्वेक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
नैनीताल

सहायक अभियन्ता
प्रतिनिधि सिचाई विभाग

प्रतिनिधि
प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी
वन प्रभाग हलद्वानी।
सदस्य

उपनिदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
सदस्य सचिव

16/9/21

16/09/21

उपजिलाधिकारी
(अध्यक्ष)

तहसीलदार,
हल्द्वानी (नैनीताल)